राजस्थान सरकार

निदेशालय कोष एवं लेखा, राजस्थान जयपुर

क्रमांकः– एफ.2 (क) (R–435) अलेसे–I/ 423 दिनांकः– 15-6-2017

कार्यालय आदेश

श्री रामेश्वर लाल, सहायक लेखाधिकारी ग्रेड–I (लिंक नम्बर 814), कार्यालय ब्लॉक मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, खण्डेला जिला सीकर के विरूद्ध राजस्थान सिविल सेवाएं (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1958 के नियम 16 के अन्तर्गत विभागीय जांच लम्बित होने के कारण विभागीय आदेश संख्या 867 दिनांक 01.12.2016 के द्वारा जांच लम्बित होने का उल्लेख किया गया था।

विभागीय आदेश कमांक 1968–1971 दिनांक 23.12.2016 के द्वारा श्री रामेश्वर लाल, सहायक लेखाधिकारी ग्रेड–I के विरूद्ध लम्बित जांच प्रकरण को समाप्त कर दिया गया है।

अतः यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री रामेश्वर लाल, सहायक लेखाधिकारी ग्रेड–I के विरूद्ध आज तकः–

1. राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम 16 के अधीन कोई विभागीय जांच विचाराधीन/लम्बित नहीं है।
2. राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 19 के अधीन कोई विशेष प्रकिया की कार्यवाही विचाराधीन/लम्बित नहीं है।
3. कोई न्यायिक कार्यवाहीयॉ विचाराधीन/लम्बित नहीं है।

(मंजुला वर्मा)
निदेशक

क्रमांकः– एफ 2 (क) (R–435) अलेसे–I/ 423 दिनांकः– 15-6-2017

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है –

1. निदेशक, पेंशन एवं पेंशनर्स कल्याण विभाग, जयपुर।
2. कोषाधिकारी, सीकर।
3. ब्लॉक मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, खण्डेला जिला सीकर।
4. श्री रामेश्वर लाल, सहायक लेखाधिकारी ग्रेड–I, कार्यालय ब्लॉक मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, खण्डेला जिला सीकर।
5. उप निदेशक (एसीपी) को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
6. अतिरिक्त निजी सचिव निदेशक महोदया।
7. निजी पत्रावली/गार्ड फाईल।

(बलवीर सिंह गोठवाल)
अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक–I)

ए–ब्लॉक, वित्त भवन, ज्योति नगर, जनपथ, जयपुर
Website - dta.raj.nic.in, E-Mail Id - jdp-ta-rj@nic.in Fax-2740735, Tel.- 2744134

D:\2016\Anil Ji\Order.doc27